

फर्द अहकाम

राजकुमार बनाम अनुकुमार वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

मुकदमा नम्बर 161 / 2025 दावा बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

जीसीएमएस संख्या: 2025/482

क.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष वि
	17 <sup>04</sup> / <sub>26</sub>	<p>वादी एवं वादी के ज.प.र                      कायदा शीघ्र सुनवाई व वाद पर त.र.                      पिडो को भेज कर के पर तामु रिफ्त                      डिग्रेड के पूर्व तस्ब विगर्नी वडी/वाडी                      के तैयारी का पर हमारा पर कर वाद                      पर ज.प.र. को वापिस कर के देद                      सिविल रिफ्त का पर तामु रिफ्त                      कायदा का उपलोक्य डिप्लोमा                      ज.प.र स्वीकार कर सामिल रिफ्त                      डिप्लोमा / वाद पर कर के तामु रिफ्त                      पिडो कर 2 कारिय रिफ्त जाला है                      कायदा के तामु रिफ्त का पर तामु रिफ्त                      कायदा के तामु रिफ्त का पर तामु रिफ्त                      है</p>	<p>विशेष वि                      रिफ्त                      सिविल रिफ्त                      रिफ्त</p>
		<p>उपखण्ड अधिकारी                      पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)</p>	